

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट-1


जयपुर, दिनांक : 10.01.2019

परिपत्र

विषय : अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान की अवधि बढ़ाने बाबत।

राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/कंपनियों/बोर्ड्स आदि में उपलब्ध बेशी/ अनुपयोगी/ अप्रचलित भण्डार सामग्री/वाहन आदि के निस्तारण हेतु अभियान चलाने बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश प्रथमतः परिपत्र संख्या 5/2018 दिनांक 02.04.2018 से जारी किये गये थे। राज्य के सभी कार्यालय इस अभियान अवधि में समस्त अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण कर सकें इस उद्देश्य से अब इस अभियान की अवधि दिनांक 31.12.2018 से बढ़ाकर 31.03.2019 तक निर्धारित की जाती है। संदर्भित परिपत्र के प्रावधान दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी रहेंगे।

सभी प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष इस विस्तारित अवधि तक शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करावें।



(मंजू राजपाल)

शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति.मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/ समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर । 6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण)/निदेशक, निरीक्षण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में पालना रिपोर्ट से अवगत कराने का श्रम करावें।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
10. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 14. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
15. कार्यालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
16. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
17. निदेशक, (तकनीकी) वित्त विभाग, कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।

(GF&AR -9/2019)


शासन संयुक्त सचिव 10/1/2019

राजस्थान सरकार

GFR:Rules

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर


क्रमांक-लेखा/मुख्यालय/अनु.सा.वा./2019/2905

दिनांक 15/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.....
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान.....
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.....
4. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी.....
5. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी.....

6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।


वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर